राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1749/2021

डॉ. सुरेश चन्द बंसल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, ज्योतिनगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.08.2023
उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता,
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी ने इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी प्रमुख विशेषज्ञ (नेत्र), सामान्य चिकित्सालय, बाडी, जिला धौलपुर जो अधिवार्षिकीय आयु पूर्ण कर दिनांक 31.08.2019 को सेवानिवृत हो चुके हैं। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को पेंशन का लाभ देरी से दिया गया है। दिनांक 12.03.2020 को अपीलार्थी को पीपीओ जारी किया गया और उसके पश्चात अपीलार्थी को वास्तविक लाभ जून, 2020 में प्रदान किया गया। ग्रेच्युटी का लाभ भी अपीलार्थी को जून, 2020 में प्रदान किया गया है। अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का लाभ दिनांक 27.01.2021 को प्रदान किया गया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत अपीलार्थी देरी से किये गये पेंशन परिलाभों पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि दिनांक 12.03.2020 को पीपीओ आदेश जारी किये गये थे तथा सेवा निवृति के वास्तविक लाभ परिलाभ जून 2020 से देय हुये थे चूंकि मार्च 2020 में ही कोविड–19 के कारण से पूरे देश में लॉक डाउन की स्थिति हो गयी थी उक्त विश्व महामारी के कारण उक्त लाभ परिलाभ के भुगतान में विलम्ब हुआ था। माह जून 2020 में पेंशन का भुगतान किया गया था चूंकि विभाग द्वारा जारी सेवा निवृति आदेश पं. 34 (39) चि०स्वा0/2/2019 दिनांक 01.04.2019 में अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित न होने

का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं था। उक्त कार्यवाही लम्बित न होने प्रमाण–पत्र दिसम्बर 2019 विभाग द्वारा जारी हुआ। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय बाडी के पत्रांक 807 दिनांक 24.10.2019 के द्वारा अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका एवं कुलक संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर के लिये भिजवायी गयी तथा उक्त पत्रांक दिनांक 24.10.2019 को भिजवायी गयी सेवा पुस्तिकाओं पर पेंशनर्स विभाग द्वारा आक्षेप लगाकर पुनः प्रमुख चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय बाडी को भेजी गयी। उक्त आक्षेप का निस्तारण कर पुनः दिनांक 06.02.2020 को पत्रांक 110 के द्वारा संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर को भिजवायी गयी। उक्त के आधार पर दिनांक 12.03.2020 को पीपीओ नंबर जारी किया गया। परन्तु कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन होने से अपीलार्थी के पेंशन भुगतान में विलंब हुआ। अपीलार्थी को 300 पीएल के भुगतान हेतु संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर द्वारा पर्याप्त बजट दिनांक 05.02.2021 को उपलब्ध करवाया गया था। उक्त बजट आवंटन करने हेतु प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप जिला चिकित्सालय बाडी द्वारा संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय भरतपुर को पत्राक 534 दिनांक 11.06.2020 पत्रांक 740 दिनांक 23.07.2020, तथा पत्रांक 90 दिनांक 27.01.2021 पत्र प्रेषित किये गये थे। कोविड–19 वैश्विक महामारी के कारण कार्यालय का समस्त बजट राशि आवंटन में विलंब हुआ था।

3. दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया गया। स्पष्ट रूप से अपीलार्थी को पेंशन का भुगतान, ग्रेच्युटी भुगतान एवं उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के भुगतान में देरी हुई है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा देरी का कारण वैश्वीक महामारी कॉविड के कारण होना बताया गया है। अपीलार्थी की सेवानिवृति दिनांक 31.08.2019 को हुई थी। उस समय महामारी नहीं फेली थी। इस कारण अपीलार्थी के सम्बन्ध में देरी का जो कारण प्रत्यर्थी विभाग ने बताया है वह उचित प्रकट नहीं होता है। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सेवानिवृति फायदों का विलम्ब से भुगतान किया गया है। ऐसे में हम यह पाते है कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत अपीलार्थी ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

4. अतः यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ के विलम्ब से हुये भुगतान पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम–89 के तहत ब्याज राशि का भुगतान करें।
5. इस आदेश की पालना 3 माह में की जावें।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)